न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा हनुमानगढ टाउन जरिये श्री आर. के. जैन मुख्य प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, क्षैत्रीय व्यवसाय कार्यालय 05, सर्किट हाउस रोड हनुमानगढ जं. (राज.)।

——प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स आकाश ट्रेडिंग कंपनी जरिये प्रोपराईटर हनुमान गोयल पुत्र श्री मुरलीधर गोयल निवासी प्लॉट नं. 08, चक नं. 17 एचएमएच, रोमाना कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

——ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश

दिनांकः—01.02.2021

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आर. के. जैन, मुख्य प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, क्षैत्रीय व्यवसाय कार्यालय 05, सर्किट हाउस रोड हनुमानगढ जं. की ओर से श्री अमित कुमार वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक ने ऋणी मैसर्स आकाश ट्रेडिंग कंपनी जरिये प्रोपराईटर हनुमान गोयल पुत्र श्री मुरलीधर गोयल निवासी प्लॉट नं. 08, चक नं. 17 एचएमएच, रोमाना कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन को नकद साख ऋण सुविधा अप्रार्थी की अचल सम्पति प्लॉट नम्बर 08, चक 17 एचएमएच पत्थर नम्बर 130/267 किल्ला नम्बर 23 रोमाना कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 25' गुणा 50'=1250 वर्गफुट), जो कि श्री हनुमान गोयल पुत्र श्री मुरलीधर गोयल के नाम से है, जिसके विरूद्ध दिनांक 23.08.2018 को राशि 20,00,000/—रूपये (अखरे बीस लाख रूपये मात्र) का ऋण शाखा हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रदान किया था।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी को नकद साख ऋण सुविधा के तहत प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर

अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में ऋणी से आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से साम्यक बंधक किया है।

अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण की राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने खाते को संतोषजनक तरीके से संचालित नहीं किया गया। अप्रार्थी ने माफिक इकरार किश्त एवं ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार गैर–निष्पादनीय आस्ति (NPA) के रूप में दिनांक 12.05.2019 को वर्गीकृत किया गया।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर अप्रार्थी का ऋण खाता गैर–निष्पादनीय आस्ति (NPA) होने के पश्चात प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक मांग नोटिस सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि. ए.डी. द्वारा दिनांक 19.06.2019 को अप्रार्थी को दिलाते हुए बकाया रकम रूपये 21,00,939/–(अखरे इक्कीस लाख नौ सौ उंचालीस रूपये मात्र) दिनांक 19.06.2019 तक का (ब्याज दिनांक 18.06.2019 तक का) व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त मांग नोटिस मिलने से 60 दिन की अवधि में अदा करने का लिखा तथा उक्त नोटिस के बिना तामिल के लौटकर आने के कारण मांग नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्र दैनिक तेज एवं इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 27.08.2019 को करवाया गया तथा इस नोटिस में यह भी लिखा कि अप्रार्थी द्वारा समयावधि में रकम अदा न किये जाने पर प्रार्थी बैंक बकाया रकम की वसूली हेतु साम्यिक बंधकशुदा सम्पति से वसूल करेगा, जिसके तमाम हर्जे एवं खर्चे की जिम्मेवारी अप्रार्थी की होगी। बावजूद नोटिस के दो समाचार पत्रों में प्रकाशन अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक के बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जबाब दिया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी को एक नोटिस अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अन्तर्गत दिनांक 06.11.2019 को प्रेषित किया जिसमें साम्यिक बंधकसुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थी इसके बावजूद भी ऋण की पूर्ण अदायगी प्रार्थी बैंक के समक्ष जमा नहीं करवायी गयी है और न ही साम्यिक बंधकशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द किया है।

इस संबंध में बैंक द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पति प्लॉट नम्बर 08, चक 17 एचएमएच पत्थर नम्बर 130/267 किल्ला नम्बर 23 रोमाना कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 25' गुणा 50'=1250 वर्गफुट), जो कि श्री हनुमान गोयल पुत्र श्री मुरलीधर गोयल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा बैंक को दिलाये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद मुहैया कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस दिनांक 19.06.2019 भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में भारतीय स्टेट बैंक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पास बंधकशुदा उक्त अचल सम्पति प्लॉट नम्बर 08, चक 17 एचएमएच पत्थर नम्बर 130/267 किल्ला नम्बर 23 रोमाना कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 25' गुणा 50'=1250 वर्गफुट), जो कि श्री हनुमान गोयल पुत्र श्री मुरलीधर गोयल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official